सब्यसाची सेनगुप्ता और अन्य

बनाम

नानी गोपाल दत्त और अन्य

पश्चिम बंगाल राज्य

11 अप्रैल, 1990

[एस. रत्नवेल पांडियान, न्यायाधीश और के. जयचंद्र

रेड्डी, न्यायाधीश]

भारत का संविधान, 1950: अनुच्छेद 141, 142 और 144-सर्वोच्च न्यायालय का आदेश या निर्देश-सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी- पूरी कठोरता से लागू और निष्पादित किया जाए।

पश्चिम बंगाल सिविल सेवा (कार्यकारी) से संबंधित कुछ कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें राज्य सरकार को उचित वरिष्ठता नियम बनाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया। उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित कर राज्य सरकार को आदेश के एक महीने के भीतर वरिष्ठता नियम बनाने और उस आधार पर अंतर-वरिष्ठता निर्धारित करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एक आवेदन पर उसी न्यायाधीश ने एक अंतरिम आदेश पारित किया कि अदालत के आदेश के अनुसार बनाए गए वरिष्ठता नियमों को अदालत की अनुमति के बिना और रिट याचिकाकर्ताओं को नोटिस दिए बिना

प्रभावी नहीं किया जाएगा। रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एक अन्य आवेदन पर, उसी न्यायाधीश ने राज्य सरकार को वरिष्ठता के मसौदा नियमों के आधार पर आगे कोई कार्रवाई करने से रोक दिया।

बाद में, रिट याचिका को अनुमति देते हुए निर्णय दिया गया, जिसमें कहा गया कि मसौदा नियम अधिकार से बाहर थे। आहत होकर राज्य सरकार ने खंड पीठ के समक्ष अपील दायर की है। खंड पीठ ने एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। खंड पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य सरकार वरिष्ठता नियमों के अंतिम मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ सकती है। उक्त आदेश से पीड़ित रिट याचिकाकर्ताओं ने एक विशेष अनुमति याचिका दायर की जिसे उच्च न्यायालय को दो महीने के भीतर लंबित रिट याचिका का शीघ्र निपटान करने के अनुरोध के साथ खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने अपील के निपटारे तक स्थगन आदेश को बढ़ा दिया और यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। इस आदेश के खिलाफ, रिट याचिका में मूल प्रतिवादियों ने इस न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। इस न्यायालय ने इस आशय का एक अंतरिम आदेश पारित किया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी भी विपरीत आदेश के बावजूद, इस न्यायालय द्वारा पहले पारित आदेश मान्य होगा। बाद में, विशेष अनुमति देते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि अंतरिम आदेश को देखते हुए आगे कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

वर्तमान आवेदन राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 15.9.1989 के संदर्भ में इस न्यायालय के दो आदेशों पर स्पष्टीकरण के लिए दायर किया गया है।

आवेदन का निपटारा करते हुए, इस न्यायालय ने कहा:

1.1 यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी आदेश या निर्देश जो इस शीर्ष न्यायालय द्वारा उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए सुनाया गया, वह आदेश या निर्देश भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, और इसे अपनी पूरी कठोरता से लागू और निष्पादित किया जाना चाहिए। [484 डी]

1.2 उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा भेजी गई रिपोर्ट दिनांकित 15 सितंबर, 1989 से ऐसा लगता है कि बाद की खंड पीठ ने निम्न आधार पर 8 सप्ताह के स्थगन आदेश को बढ़ा दिया- पहला यह कि इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 29.8.1989 ने खंड पीठ को ऐसा आदेश पारित करने से नहीं रोका है और दूसरा यह कि 8 सप्ताह का स्थगन आदेश 4 सितंबर, 1989 से निरस्त हो गया था। लेकिन वास्तव में, न्यायालय के आदेश दिनांकित 29.8.1989 ने 8 सप्ताह की समाप्ति पर उच्च न्यायालय की प्रथम खंड पीठ के आदेश दिनांकित 10.7.1989 को बहाल कर दिया था और यह कि 8 सप्ताह का स्थगन केवल 9.9.1989 को समाप्त हो गया था न कि 4.9.1989 को । [484 ई-एफ]

1.3 यह राज्य सरकार के लिए खुला है कि वह उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 10.7.1989 के अनुसार कार्य करे। एस. एल. पी. सं. 10670/89 में इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 7.9.1989 के आदेश ने इस प्रभाव से इस स्थिति को स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विपरीत आदेश के बावजूद इस न्यायालय का आदेश दिनांकित 29.8.1989 लागू रहेगा। दिनांकित 7.9.1989 के आदेश में उल्लिखित 'विपरीत आदेश' आदेश दिनांकित 4.9.199 को संदर्भित करता है। परिणामी स्थिति यह है कि इस न्यायालय ने आदेश दिनांकित 7.9.1989 के द्वारा उच्च न्यायालय की दूसरी खंड पीठ के आदेश दिनांकित 4.9.1989 को निष्क्रिय और अप्रभावी बना दिया है। इसके बाद, अनुमति देने के बाद एस. एल. पी. सं. 10670/89 का निपटारा कर दिया गया। इस प्रकार मामले में अब यह निष्कर्ष निकालता है कि 10.9.1989 के बाद से प्रथम खंड पीठ का आदेश दिनांकित 10.7.1989 से सक्रिय और निष्पादन योग्य हो जाता है और उस आदेश द्वारा दिए गए अंतरिम निर्देश को फिर से जीवन दिया जाता है और पुनर्जीवित किया जाता है। [484 जी-एच; 485 ए-बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 4131/1989 में आई. ए. सं. 3/1990.

मूल आदेश संख्या 241/1989 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 4.9.1989 से।

अशोक देसाई, सॉलिसिटर जनरल, अमल दत्ता, डी. के. सिन्हा और जे आर दास - याचिकाकर्ताओं के लिए ।

ए. के. सेन, सुश्री मृदुला रे, टी. यू. मेहता (एन. पी.) और डी. पी. मुखर्जी - प्रतिवादियों के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश एस. रत्नवेल पांडियान, न्यायाधीश द्वारा दिया गया था।

यह प्रार्थना-पत्र मामला संख्या 1436/1988 में 1989 की रिट याचिकाओं 240 और 241 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित 1989 के आदेश दिनांकित 4 सितंबर और आदेश रिपोर्ट दिनांकित 15 सितंबर के संदर्भ में सएलपी (सिविल) संख्या 10670/89 में इस न्यायालय के दो आदेशों दिनांकित 7 सितंबर और 27 सितंबर के स्पष्टीकरण के लिए पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर की गई है।

इस मामले का एक उतार-चढ़ाव वाला इतिहास है, जिसके तथ्यों को कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले दिनांकित 10.7.1989 में स्पष्ट रूप से दिया गया हैं, इस आवेदन के अनुलग्नक-I को देखें। इसलिए, पूरे तथ्यों को दोहराना आवश्यक नहीं है, लेकिन इस आवेदन के निपटारे के लिए कुछ प्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख करना पर्याप्त है।

पश्चिम बंगाल सिविल सेवा (कार्यकारी) से संबंधित पश्चिम बंगाल राज्य के कर्मचारियों के एक समूह ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट

याचिका संख्या 1436/1988 दायर की। इसके बाद उक्त संवर्ग के कुछ और सदस्यों को उनके आवेदन पर उत्तरदाता के रूप में जोड़ा गया और उन्होंने भी रिट याचिका का समर्थन किया।

रिट याचिका के मूल उत्तरदाता जो उस ही संवर्ग में हैं और साथ ही राज्य सरकार, जिसे पक्षकार बनाया गया है, ने रिट याचिका का विरोध किया।

रिट याचिका में मुख्य दलील यह है कि पश्चिम बंगाल सिविल सेवा में पदोन्नत और सीधे तौर पर नियुक्त के बीच वरिष्ठता के निर्धारण से संबंधित कोई नियम नहीं था और उपरोक्त अभिवचन में प्रार्थना परमादेश रिट जारी करने के लिए है जिसमें राज्य सरकार को उस संबंध में उचित वरिष्ठता नियम बनाने का निर्देश दिया गया है। 5.4.1988 को उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश, अजीत कुमार सेनगुप्ता, न्यायाधीश ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया कि आदेश की संसूचना की तारीख से एक महीने के भीतर वरिष्ठता नियमों को तैयार करें और वरिष्ठता नियमों के आधार पर अंतर-वरिष्ठता निर्धारित करें।

रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एक आवेदन पर 29.4.1988 को उसी विद्वान न्यायाधीश ने एक अंतरिम आदेश पारित किया इस आशय से कि उनके आदेश दिनांकित 5.4.1998 के अनुसरण में यदि कोई वरिष्ठता नियम बनाए गए हैं, तो उन्हें न्यायालय की अनुमति के बिना और रिट याचिकाकर्ताओं को कोई नोटिस

दिए बिना प्रभावी नहीं किया जाएगा। 10.6.1988 को रिट याचिकाकर्ताओं ने वरिष्ठता नियमों के मसौदे को दरकिनार करने के लिए उसी विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिका में एक और अंतरिम आवेदन दायर किया। उसी दिन, विद्वान न्यायाधीश ने वरिष्ठता के मसौदा नियमों जो इस बीच दिनांकित 5.4.1988 के पूर्व आदेश के अनुपालन में तैयार किए गए थे के मूल आधार पर आगे की कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को कोई भी कदम उठाने से रोकने का अंतरिम आदेश पारित किया।

23.3.1989 को अजीत कुमार सेनगुप्ता, न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया, जिसका प्रभावी भाग इस प्रकार हैः

> "आवेदन की अनुमति है। मसौदा नियम अधिकार से बाहर हैं जैसा कि मैं पहले ही अपने निर्णय में मान चुका हूँ। उसके संबंध में वरिष्ठता मेरे निर्णय में दिये गए निर्देशों के अनुसार होगी। चार सप्ताह के लिए फैसले और आदेश के प्रभावी होने पर रोक रहेगी लेकिन न्यायालय द्वारा दिया गया अंतरिम आदेश भी चार सप्ताह तक चलेगा।"

राज्य सरकार ने अपील सं. 240/89 के माध्यम से उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष फैसले और आदेश दिनांकित 23.3.1989 के खिलाफ अपील की। रिट याचिका के मूल प्रतिवादियों ने अपील सं. 241/89 में उस फैसले के खिलाफ एक

और अपील दायर की। दोनों अपील वाद संख्या 1436/88 के संदर्भ में हैं। दोनों अपीलों में, न्यायमूर्ति रॉय और न्यायमूर्ति सुधांग्शु शेखर गांगुली की खंडपीठ के समक्ष स्थगन आवेदन दायर किए गए थे। उक्त खंड पीठ ने अंतरिम आवेदनों का निपटारा करते हुए 10.7.1989 पर अपना निर्णय दिया, जिसका प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

> "हमारे समक्ष किए गए सभी निवेदनों पर विचार करने पर, हम यह मानने के लिए इच्छुक हैं, इसलिए कि अपीलार्थी-याचकों ने न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को प्रभावी होने के खिलाफ स्थगन के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया है। चूंकि प्रतिवादी यह स्थापित नहीं कर पाएँ हैं कि प्रथम दृष्टया मामला उनके पक्ष में है, यह नहीं माना जा सकता कि सुविधा और असुविधा का संतुलन उनके पक्ष में है। विद्वान न्यायाधीश ने वरिष्ठता के नियम बनने तक और प्रतिवादियों की वरिष्ठता निर्धारित होने तक अपीलार्थी-राज्य को कई महत्वपूर्ण पदों को भरने से रोक दिया है। इस तरह का एक स्थगन आदेश मूल रिट याचिका दायर करने के बाद से है। यह जाहिर है कि सरकार इस प्रतिबंध से पीड़ित है और यह इन अधिकारियों के लिए भी स्पष्ट है जिनको अन्यथा इन पदों पर नियुक्त किया जाता आर्थिक रूप से

पीड़ित है। निषेधाज्ञा के इस आदेश की पालना को भी विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के साथ ही स्थगन करना पड़ेगा।

उल्लिखित परिस्थितियों में यह आदेश दिया जाता है कि वाद संख्या 1436/88 में माननीय न्यायमूर्ति श्री अजीत कुमार सेनगुप्ता के निर्णय और आदेश दिनांकित 23 मार्च 1989 के साथ उक्त मामले में उनके द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेश के प्रवर्तन का एतदद्वारा स्थगन किया जाता है। इस अपील के निपटारे तक सरकार एकीकृत डब्लू.बी.सी.एस के सदस्यों की वरिष्ठता को नियंत्रित करने वाले नियमों को अंतिम रूप देने के साथ आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगी। सरकार सभी रिक्तियों को भरने और उच्चतर पदों या उच्चतर श्रेणी पर नियुक्तियों सहित सभी सेवा लाभ प्रदान करने के लिए स्वतंत्र होगी जो इन अपीलों के परिणामों के अधीन होगा। चूंकि इस तरह की कई रिक्तियाँ वर्तमान में खाली है न्यायालय की मंशा है कि सरकार विचार करे कि इन रिक्तियों को भरते समय क्या वह रिट याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों संख्या 9 से 15 तक के मामलों पर विचार करेगी।"

उसी आदेश में, खंड पीठ इस आवेदन का निपटारा करने के बाद निम्नलिखित आदेश दिया:

"आदेश के साथ इस निर्णय के प्रचालन पर आठ सप्ताह तक स्थगन रहेगा।

स्पष्ट रूप से निर्णय के प्रचालन पर किया गया स्थगन पीड़ित पक्ष के निवेदन पर किया गया है, अर्थात् अपील के प्रतिवादियों के लिए, ताकि उन्हें इस न्यायालय तक पहुँचने में सक्षम बनाएँ।

इस आदेश से आहत, रिट याचिकाकर्ता जो अपील में प्रतिवादी हैं ने खंड पीठ के निर्णय और आदेश दिनांकित 10.7.1989 को चुनौती देते हुए एस.एल.पी. संख्या 9920/89 दायर की, साथ में आई. ए. सं-1/89 में स्थगन के लिए एक याचिका यह निवेदन करते हुए दी, "एस एल पी के निपटारे तक मामला संख्या 1436/88 में अपील सं शून्य/89 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय और आदेश दिनांकित 10 जुलाई 1989 पर स्थगन के लिए....."

इस न्यायालय की एक पीठ, जिसमें हममें से एक (रत्नवेल पांडियन, न्यायाधीश) एक पक्षकार थे, ने एस.एल.पी में याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों के विद्वान वकील को सुनने के बाद 29.8.1989 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"चूंकि विशेष अनुमति याचिका उच्च न्यायालय की खंड पीठ के अंतरिम आदेश के खिलाफ निर्देशित है, इसलिए हम इस मामले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी जाती है। लेकिन हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका का आज से दो महीने के भीतर यथासंभव शीघ्रता से निपटारा किया जाये।

ऐसा प्रतीत होता है कि 4.9.1989 को न्यायमूर्ति एम. एन. रॉय, जो आदेश दिनांकित 10.7.1989 के एक पक्षकार थे, ने अपने समक्ष सूचीबद्ध किए जा रहे अन्य मामलों को देखते हुए उक्त सप्ताह के दौरान अपीलों पर सुनवाई करने में असमर्थता व्यक्त की और इन प्रश्नगत अपीलों को छोड़ दिया। इसके बाद इन दोनों अपीलों को एक अन्य खंड पीठ को सौंपा गया था, जिसमें विद्वान न्यायाधीश बिमल चंद्र बसक और न्यायाधीश अमरव सेनगुप्ता शामिल थे। इस पीठ ने उसी दिन यानी 4.9.89 की दोपहर को ही पूर्ववर्ती खंड पीठ द्वारा दी गई आठ सप्ताह के स्थगन दिनांकित 10.7.89 को अपीलों के निपटारे तक बढ़ा दिया और यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। 4.9.1989 के आदेश से व्यथित होने पर जिससे स्थगन के आदेश को बढ़ा दिया गया, रिट याचिका में

मूल प्रतिवादियों ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका संख्या 10670/89 दायर की, जो न्यायाधीश के. एन. सिंह के साथ माननीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली इस न्यायालय की पीठ के समक्ष आई। इस पीठ ने उपरोक्त एसएलपी पर 7.9.1989 को एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसका प्रचालन भाग इस प्रकार हैः

"इस बीच इस न्यायालय द्वारा 29.8.1989 को पारित आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित किसी भी विपरीत आदेश के बावजूद लागू रहेगा।"

इस एस. एल. पी. को अंततः न्यायाधीश मुरारी मोहन दत्त और हम में से एक (न्यायाधीश रत्नवेल पांडियन) की एक अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। इस पीठ ने (एस.एल.पी. (सिविल) सं. 10670/89) से उत्पन्न सिविल अपील संख्या 4131/1989 में 29.7.89 को निम्नलिखित आदेश पारित किया।

"विशेष अनुमति दी जाती है। रिपोर्ट का अध्ययन किया।

दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, हम निर्देश देते हैं कि इस न्यायालय द्वारा पारित 7 सितंबर, 1989 के आदेश को ध्यान में रखते हुए, इस अपील पर आगे कोई आदेश देने की

आवश्यकता नहीं है। अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है। हर्जे खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।"

वर्तमान अंतर्वर्ती आवेदन (1990 का 3) में आवेदकों की ओर से किए गए निवेदन यह है कि यह हैं कि न्यायाधीश बिमल चंद्र बसक और न्यायाधीश अमरव सेनगुप्ता की खंडपीठ द्वारा पारित एकतरफा आदेश जिसमें स्थगन को बढ़ा दिया गया और 4 सितम्बर 1989 को यथास्थिति बनाने को कहा गया ने इस न्यायालय के 29 अगस्त 1989 के पूर्ववर्ती आदेश का उल्लंघन किया था और हालांकि अपीलों को कई दिनों में सुना गया उनका अभी निपटान नहीं किया गया है, सुचारू प्रशासन के हित में और पश्चिम बंगाल सिविल सेवा (कार्यकारी) संवर्ग के सदस्यों में ठहराव और हताशा को दूर करने के लिए आवश्यक आदेश, निर्देश और स्पष्टीकरण के लिए राज्य सरकार इस न्यायालय की शरण में आने को बाध्य है।

राज्य सरकार के अनुसार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में जिसमें राजस्व, वित्त, शिक्षा, दुग्ध आपूर्ति, अस्पताल, प्रशाश्निक सुधार और ऊर्जा विभाग सहित कई विभाग शामिल हैं में उप सचिव के संवर्ग और उसके समकक्ष पदों के कई पद खाली है, कि राज्य सरकार इन सभी पदों को 4.9.1989 के यथास्थिति के अन्तरिम आदेश के मद्देनजर भर नहीं पा रही है, कि राज्य सरकार पदोन्नति पर तबादले नहीं कर पा रही है या समकक्ष पदों पर अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेज रही है, और कि उन अधिकारियों को कोई सेवा परिलाभ नहीं दे पा रही

है। अपनी और प्रतिवादियों 1, 3, 4 और 5 की ओर से दूसरे प्रतिवादी ने एक प्रतिवाद दायर किया है जिसमें कहा गया है कि खंड पीठ द्वारा 4.9.1989 को पारित स्थगन के विस्तार का आदेश किसी भी तरह से असंगत या इस अदालत के आदेश का उल्लंघन नहीं है और अपील के निपटारे में देरी केवल आवेदकों द्वारा अपनाई गई द्वंद्वात्मक रणनीति के कारण है और 7 सितंबर 1989 को इस अदालत से प्राप्त आदेश प्रतिवादियों संख्या 1 से 5 को बिना कोई सूचना दिये और पीठ पीछे था, और यह कि अधिकांश पद (जैसा कि प्रतिवाद के अनुलग्नक 'ए' में दिखाया गया है) अंतरिम आदेशों के लंबित रहने के दौरान राज्य सरकार द्वारा भरे गए हैं और पदों को भरने के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यक्त की गई शिकायत पूरी तरह से एक गलत बयान है क्योंकि उल्लिखित सभी पदों को भर दिया गया है और यदि विस्तारित स्थगन आदेश में बाधा आती है, तो प्रतिवादियों को अथाह कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि वाद संख्या 1436/88 में दोनों अपीलें संख्या 240/89 और 241/89 अब अंतिम निपटान के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, हम, शामिल मुद्दों पर कोई विस्तृत चर्चा किए बिना, केवल स्पष्टीकरण देकर इस आवेदन का निपटारा करने के लिए इच्छुक हैं। यह स्वीकार की गई दलील है कि न्यायमूर्ति रॉय और न्यायमूर्ति सुधांग्शु शेखर गांगुली की खंडपीठ ने अपने आदेश दिनांकित 10.7.1989 द्वारा वाद संख्या 1436/88 में विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश दिनांकित 23.3. 1989 के प्रचालन पर रोक लगा दी और सरकार को अनुमति दी कि सभी रिक्तियों

को भरें और उच्च पदों या उच्च स्तर पर नियुक्तियों सहित सभी सेवा लाभ प्रदान करें जो दोनों अपीलों के परिणामों के अधीन होंगे। हालाँकि, उसी पीठ ने इस आदेश के प्रचालन पर 8 सप्ताह की अवधि के लिए रोक लगा दी, ताकि इन दोनों अपीलों में प्रतिवादिओं को इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अवसर मिल सके। जब मामला उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाने के लिए आदेश दिनांकित 10.7.89 के प्रचालन पर रोक लगाने के लिए याचिका (आई. ए. संख्या 1/89) के साथ एस.एल.पी. संख्या 9920/89 में स्वीकृति के लिए इस न्यायालय के समक्ष आया, तो इस न्यायालय ने दोनों पक्षों के वकील को सुनने के बाद अपने आदेश दिनांकित 29.8.89 के द्वारा उस एस. एल. पी. को खारिज कर दिया। आदेश की प्रति पहले ही ऊपर पुनः प्रस्तुत की जा चुकी है। इस न्यायालय ने यह कहते हुए कि "हम मामले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं", स्थगन आदेश दिनानकित 10.7.89 को बरकरार रखा है। दूसरे शब्दों में 10.7.89 को खंड पीठ द्वारा पारित स्थगन आदेश को बरकरार रखा गया है। परिणाम यह हुआ कि 8 सप्ताह की अवधि की समाप्ति पर, पूर्ववर्ती खंड पीठ द्वारा पारित स्थगन का मूल आदेश दिनांकित 10.7.89 को फिर से सक्रिय किया गया है और प्रचालन में आ गया है। 8 सप्ताह की अवधि जिसके लिए आदेश दिनांकित 10.7.89 पर खंड पीठ द्वारा स्थगन लगा दिया गया था, सामान्य अनुक्रम में 9.9.89 को समाप्त हो जाता। ऐसा प्रतीत होता है कि इस बीच, दोनों अपीलों के प्रतिवादियों ने एक अन्य खंड पीठ कि शरण ली, जिसको

पहले से ही इंगित कारणों के लिए अपील सौंपी गई है और खंड पीठ के दिनांक 10.7.1989 के फैसले के प्रचालन पर स्थगन के विस्तार का आदेश प्राप्त किया है। दुखी महसूस करते हुए, दो अपीलों में अपीलकर्ताओं-अर्थात्, सब्यसाची सेनगुप्ता और अन्य ने एसएलपी संख्या 10670/1989 दायर की। इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित 7.9.89 द्वारा निर्देश दिया कि इस न्यायालय द्वारा 29.8.89 को पारित आदेश अर्थात एस. एल. पी. सं. 9920/89 में पारित आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित किसी भी विपरीत आदेश के बावजूद लागू रहेगा। 'विपरीत आदेश' कलकत्ता उच्च न्यायालय की दूसरी पीठ द्वारा 4.9.1989 को पारित आदेश के लिए संदर्भित है। आवेदकों की ओर से पेश होते हुए श्री अशोक देसाई, विद्वान सॉलिसिटर जनरल और श्री अशोक सेन, वरिष्ठ वकील ने हठ पूर्वक व्यक्त किया कि इस न्यायालय द्वारा 7.9.89 को पारित आदेश के मद्देनजर जिसमें कहा गया कि "कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित किसी भी विपरीत आदेश के बावजूद" न्यायालय का आदेश दिनांकित 29.8.1989 मान्य होगा, यह स्पष्ट किया जाता है कि उच्च न्यायालय का आदेश दिनांकित 4.9.89 अनुचित हो गया है और आगे अनुरोध किया कि यह न्यायालय, हालांकि, बाद के आदेश/रिपोर्ट दिनांकित 15.9.1989 के संदर्भ में स्थिति को स्पष्ट करने के लिए राजी हो। प्रतिवादियों की ओर से श्री डी. पी. मुखर्जी ने उपस्थित होकर एक जोरदार दलील दी कि यह मानते हुए भी कि 4.9.89 का आदेश 7.9.89 के आदेश का उल्लंघन है,

यह केवल एक तकनीकी उल्लंघन के बराबर होगा और इस तरह इस अंतर्वर्ती आवेदन में आवेदकों द्वारा मांगी गई राहत देने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है और यदि राहत, जैसा कि अनुरोध किया गया है, प्रदान की जाती है, तो यह प्रतिवादियों के लिए पर्याप्त और गंभीर अन्याय का कारण होगा।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर, हम मानते हैं कि श्री मुखर्जी की याचिका अतार्किक और समझ से परे है और विचार के योग्य नहीं है। यदि उसकी याचिका स्वीकार की जानी है, तो यह केवल न्याय का मजाक होगा क्योंकि यह हमारे अपने आदेश को रद्द करने के समान होगा जो अपनी अंतिमता तक पहुँच गया है। यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि इस शीर्ष न्यायालय द्वारा उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए सुनाया गया कोई भी आदेश या निर्देश, वह आदेश या निर्देश भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है और इसे पूरी तरह से लागू और निष्पादित किया जाना चाहिए।

15 सितंबर 1989 को कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा भेजी गई रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि, बाद की खंड पीठ ने 8 सप्ताह के स्थगन को निम्न आधार पर बढ़ाया है - पहला यह कि इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 29.8.1989 ने खंड पीठ को इस तरह का आदेश पारित करने से रोका नहीं है। दूसरा यह कि 8 सप्ताह का स्थगन 4 सितंबर 1989 को समाप्त हो गया था। लेकिन वास्तव में, इस

न्यायालय के आदेश दिनांकित 29.8.1989 ने 8 सप्ताह की समाप्ति पर उच्च न्यायालय की प्रथम खंड पीठ के आदेश दिनांकित 10.7.1989 के आदेश को बहाल कर दिया है और यह कि 8 सप्ताह का स्थगन केवल 9.9.1989 को समाप्त हुआ था, न कि 4.9.1989 को।

बहरहाल, एस. एल. पी. सं. 10670/89 में इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 7.9.1989 ने उस स्थिति को इस प्रभाव से स्पष्ट किया है कि इस न्यायालय का आदेश दिनांकित 29.8.1989, कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विपरीत आदेश के बावजूद लागू रहेगा। आदेश दिनांकित 7.9.1989 में उल्लिखित "विपरीत आदेश" दिनांकित 4.9.1989 आदेश को संदर्भित करता है। परिणामी स्थिति यह है कि इस न्यायालय ने आदेश दिनांकित 7.9.1989 से उच्च न्यायालय की दूसरी खंड पीठ के आदेश दिनांकित 4.9.1989 को निष्क्रिय और अप्रभावी कर दिया है। इसके बाद इस एस. एल. पी. संख्या 10670/89 का अनुमति देने के बाद निपटारा कर दिया गया। इस प्रकार मामला अब इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि 10.9.1989 के बाद से प्रथम खंड पीठ का आदेश दिनांकित 10.7.1989 प्रचालन और निष्पादन योग्य है और उस आदेश द्वारा दिये गए अंतरिम आदेश को पुनर्जीवित किया जाता है। इसलिए, यह राज्य सरकार के लिए खुला है कि वह आदेश 10.7.1989 के अनुसार कार्य करे। इस स्पष्टीकरण के साथ, उपरोक्त आवेदन का निपटान बिना किसी हर्जे खर्चे के के आदेश के किया जाता है।

जी.एन.

आवेदन का निपटारा कर दिया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अशोक कुमार मीना द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।